न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0:–109/2006

CIS NO. TS 235/2018

मु0 दौलती देवी.....वादी

बनाम

त्रिमोहन शर्मा एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
12.11.2025	उभय पक्ष की ओर से पैरवी है। अभिलेख आज प्रतिवादी प्रथम पक्ष की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 29.07.2025 पर सुना। **आदेश (ORDER)** प्रतिवादी प्रथम पक्ष की ओर से दाखिल आवेदन दिनांक 29.07.2025 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद में भगवान ठाकुर द्वारा प्रतिवादी प्रथम पक्ष बलिराम ठाकुर, त्रिभुवन ठाकुर तथा ओमनारायण ठाकुर के पक्ष में अन्य खाता, खेसरा के साथ खाता–255, खेसरा–1364 का 04 धुर जमीन दिनांक 01.12.1969 को निबंधित बक्शीश किया गया है, जिसका मूल दस्तावेज न्यायालय में दाखिल है, लेकिन बदौरान विचारण इस दस्तावेज का प्रदर्श अंकित नहीं कराया जा सका है। इसी तरह भगवान ठाकुर के नाम खाता–255, खेसरा–1364 बदौरान अंचल बुझारत लौरिया में बुझारत रजिस्टर में भगवान ठाकुर के नाम से दर्ज हो गया तथा किशुन वो विशुन ठाकरु पिता भगवान ठाकुर के नाम से भी खाता–255, खेसरा–1364 में रकबा 03 धुर जमीन भी दर्ज हुआ। दोनों किता कागजात का कर निर्धारण प्रपत्र का सत्यापित कॉपी नजरी नक्सा के साथ एवं लगान निर्धारण आदेश फलक का सत्यापित कॉपी तीनों एक साथ संलग्न कर न्यायालय में दाखिल है, जो अभिलेख पर मौजुद है। यदि उपरोक्त दस्तावेजों को प्रदर्श नहीं किया जाता है तो	

न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0:–109/2006
CIS NO. TS 235/2018

मु0 दौलती देवी.....वादी

बनाम

त्रिमोहन शर्मा एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 12.11.2025	प्रतिवादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी। लेहाजा उपरोक्त कागजातों को प्रदर्श अंकित कराना न्यायहीत में आवश्यक है। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि उपरोक्त वर्णित दस्तावेजों को प्रतिवादी प्रथम पक्ष ओर से प्रदर्श अंकित करने की कृपा की जाय। वादी की ओर से प्रतिवादी प्रथम पक्ष के आवेदन दिनांक 29.07.2025 का प्रतिउत्तर दाखिल किया गया है और कहा गया है कि प्रतिवादीगण का आवेदन तथ्य एवं विधि की दृष्टि से पोषणीय नहीं है, बल्कि खारिज होने योग्य है। प्रतिवादी अपने आवेदन के कंडिका 01 एवं 02 में जो कथन किया है वह बिल्कुल गलत एवं मनगढ़ंत है, क्योंकि प्रतिवादी को अपना कागजात प्रदर्श वो साबित करने हेतु पर्याप्त अवसर उपलब्ध था तथा न्यायालय द्वारा भी पर्याप्त अवसर दिया गया है और वाद अब अंतिम बहस हेतु नियत है, जिसमें प्रतिवादी को बहस करना है, लेकिन प्रतिवादी जानबुझकर वाद को लंबित रखने हेतु उक्त आवेदन दिया है। चूंकि वादी गरीब वो अनपढ़ वृद्ध महिला है इसलिए प्रतिवादी द्वारा वादी को हैरान वो परेशान करने के नियत से इस प्रकार का भ्रामक एवं मनगढ़ंत आवेदन दाखिल किया गया है। अतः श्रीमान् से निवेदन है कि उक्त तथ्यों के आलोक में प्रतिवादी प्रथम पक्ष का आवेदन खर्चे के साथ खारिज किया जाए। उभय पक्ष के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से विदित	

न्यायालय–श्री संजीव कुमार, मुंसिफ, नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0:–109/2006

CIS NO. TS 235/2018

मु0 दौलती देवी.....वादी

बनाम

त्रिमोहन शर्मा एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 12.11.2025	होता है कि अभिलेख सुनवाई हेतु नियत है। विधि का सुस्थापित नियम है कि वाद से संबंधित सभी मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य अभिलेख पर आना चाहिए। जिससे वाद का निपटारा अंतिम रूप से किया जा सके तथा वादों की बहुलता को रोका जा सके। प्रतिवादी प्रथम पक्ष द्वारा दाखिल कागजात वाद से संबंधित होना प्रतीत होते है। अतः न्यायहित में प्रतिवादी प्रथम पक्ष का आवेदन दिनांक 29.07.2025 को मो0–1000 रूपया हर्जे पर स्वीकार करते हुए दाखिल कागजातों को प्रदर्श अंकित करने का आदेश दिया जाता है। पीठ लिपिक क्रमानुसार प्रदर्श अंकित करें। आगामी दिनांक 12.12.2025 वास्ते अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित मुंसिफ नरकटियागंज	